समयबद्ध/शीर्ष प्राथमिकता
ई-मेल/स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक(प्रशि0/शिक्षु0),
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः /टी-3/रा0प0/सं0/एन0ओ0सी0/2021 लखनऊ दिनांकः 13 अप्रैल, 2023

विषयः- **राज्य निदेशालय द्वारा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की मान्यता/सीटवृद्धि हेतु अनापत्ति-प्रमाण पत्र(एन0ओ0सी0) प्रदान किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि प्रदेश में पूर्व से संचालित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नये व्यवसाय/एककों की वृद्धि किये जाने अथवा निजी क्षेत्र में नये आई0टी0आई0 खोले जाने हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित निमी पोर्टल पर दिनांक 27.03.2023 से 25.04.2023 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। इस संबंध में राज्य निदेशालय द्वारा समयान्तर्गत अनापत्ति-प्रमाण पत्र(एन0ओ0सी0) निर्गत किया जाना है।

उक्त के क्रम में अनापत्ति-प्रमाण पत्र(एन0ओ0सी0) हेतु निर्धारित नियम व शर्तें निम्नवत् हैः-

(क) ऐसे आवेदन जो असेवित ब्लाकों हेतु किये जायें-

1. ऐसे आवेदक जो असेवित ब्लाकों में आई0टी0आई0 खोले जाने हेतु आवेदन करेंगे, के संबंध में निर्णय लिया गया है, कि आवेदक न्यूनतम 04 व्यवसायों हेतु आवेदन करेंगे जिनमें से एक व्यवसाय इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग तथा एक न्यू एज कोर्स होगा।

(ख) न्यू एज कोर्स-

1. पूर्व से संचालित ऐसे संस्थान जो न्यू एज कोर्स चलाना चाहते हैं, वे 04 व्यवसायों हेतु आवेदन करेंगे जिनमें से एक व्यवसाय इंजीनियरिंग एक नॉन इंजीनियरिंग तथा एक न्यू एज कोर्स होगा।

(ग) पूर्व से संचालित ऐसे निजी औ0प्र0संस्थान संस्थान, जिनमें 04 से कम व्यवसाय संचालित है-

1. पूर्व से संचालित संस्थान जिनमें 04 से कम व्यवसाय संचालित हैं, अतिरिक्त व्यवसाय/एककों हेतु आवेदन करेंगे उनमें एक व्यवसाय इंजीनियरिंग एक नॉन इंजीनियरिंग तथा एक न्यू एज कोर्स होगा।

- किसी भी ब्लाक में किसी एक व्यवसाय में अधिकतम 18 एकक ही संचालित किया जा सकता है, पूर्व में इससे अधिक संचालित होने पर उस व्यवसाय में पूर्व से संचालित अथवा नये खुलने वाले संस्थानों द्वारा नया आवेदन नहीं किया जाकेगा।
- एक ब्लाक में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर जो आवेदन पहले प्राप्त होगा, उसे वरियता दी जायेगी।
- एक असेवित ब्लाक में अधिकतम दो आई0टी0आई0 को एन0ओ0सी0 निर्गत की जाय, जिनमें व्यवसाय परस्पर भिन्न हों।

- सभी आवेदनकर्ता के लिये पासआउट ट्रेनी को रोजगार/स्वरोजगार में योजित करवाने हेतु समय-समय पर कैम्पस प्लेसमेन्ट/रोजगार मेले का आयोजन करना आवश्यक होगा। इस प्रयोजन के लिये वे अपने संस्थान में पृथक से प्लेसमेन्ट सेल गठित करके अपेक्षित कार्यवाही करेंगे।

अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु वांछित अभिलेखों का विवरण निम्नवत् है:-

- निमी पोर्टल पर आवेदन पत्र की छाया प्रति।
- सोसाइटी रजिस्ट्रेशन संबंधी अभिलेख।
- सोसाइटी का पेन कार्ड।
- आधार कार्ड।
- आई0टी0आई0 प्रारम्भ करने हेतु संस्था/ट्रस्ट का पारित प्रस्ताव।
- संस्था/ट्रस्ट की बैलेन्स शीट(अंतिम तीन वर्ष की जोकि सी0ए0 द्वारा सत्यापित हो)
- पूर्व संचालित निजी संस्थानों का डी0जी0टी0, भारत सरकार द्वारा निर्गत मान्यता प्रपत्र की छाया प्रति।
- पूर्व में Debar न किये जाने का घोषणा पत्र।

यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र सत्र-2023-24 हेतु लागू होगा, इसके उपरान्त आवश्यकतानुसार यथोचित नियम व शर्तों का निर्धारण किया जायेगा।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि अनापत्ति-प्रमाण पत्र(एन0ओ0सी0) हेतु उपरोक्त उल्लिखित नियम व शर्तो के आलोक में परीक्षणोपरान्त सत्यापित करते हुए वांछित अभिलेखों सहित अपने मण्डल से आच्छादित समस्त आवेदनों को समयान्तर्गत क्रमवार निर्धारित तिथि दिनांक 21.04.2023 तक विशेष पत्रवाहक के माध्यम से राज्य निदेशालय में संबंधन अनुभाग में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें तथा एक प्रति अपने कार्यालय में सुरक्षित रखें, जिससे स-समय अनापत्ति प्रमाण पत्र(एन0ओ0सी0) राज्य निदेशालय द्वारा निर्गत किया जा सके।

उपलब्ध कराये गये आवेदनों पर राज्य निदेशालय द्वारा परीक्षणोंपरान्त निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन0ओ0सी0) की सूचना ई-मेल के माध्यम से संबंधित संयुक्त निदेशक(प्रशि0/शिक्षु0) को प्रदान की जायेगी।

भवदीय,

(मानपाल सिंह)
अपर निदेशक(प्रशि0/शिक्षु0)
कृते निदेशक।

पत्रांक: 91 /टी-3/रा0प0/सं0/एन0ओ0सी0/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-संयुक्त निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, अलीगंज, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रसारण एस0सी0वी0टी0 की वेबसाईट पर करना सुनिश्चित करें।

(मानपाल सिंह)
अपर निदेशक(प्रशि0/शिक्षु0)
कृते निदेशक।